

पुष्पेन्द्र पुत्र श्री सुबरन जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. नरोत्तम पुत्र पूरन सिंह
 2. बबली पुत्री पूरन सिंह
 3. रनवीरी पुत्री पूरन सिंह
 4. रम्पो पत्नी पूरन सिंह
- जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई
जिला भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1076 दिनांक 08.04.2024
स्वीकार दिनांक 15.04.2024 द्वारा तहसीलदार नदबई

उपस्थित:-

1-श्री गोविन्द सिंह डागुर, अभिभाषक अपीलान्त,

निर्णय

दिनांक 24.04.2026

अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश नामान्तकरण 1076 दिनांक 15.04.2024 तहसीलदार नदबई के खिलाफ इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2024 को पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पो. के हक में दिनांक 08.04.2024 को दर्ज किया जाकर दिनांक 15.04.2024 को स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली नामान्तकरण तलब किया गया। तहसीलदार नदबई के पत्र क्रमांक भूअ./2024/1976 दिनांक 28.05.2024 से नामान्तकरण संख्या 1076 दिनांक 15.04.2024 की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पो. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्त की बहस इकतरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आराजी खसरा नं. 523/0.47, 747/0.20, 828/0.33 किता 3 रकवा 1.00 है. एवं आराजी खसरा नं. 1317, 1414, 1416, 603, 640 किता 5 कुल रकवा 2.72 है0 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है जिसके निस्फ हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार पूरनसिंह पुत्र यादराम जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर था। जो उसकी पैत्रिक आराजी

.....2



जिला कलक्टर
भरतपुर

ना होकर स्वअर्जित आराजी थी। अपीलान्त पूरनसिंह का भतीजा है। खसरा नं. 523, 747, 828 की वसीयत पूरनसिंह के द्वारा अपीलान्त के हक में दिनांक 22.06.2023 को उपपंजीयक नदबई के समक्ष उपस्थित होकर पंजीबद्ध कराई गई थी एवं आराजी खसरा नं. 1317, 1414, 1416, 603, 640 का विक्रय पत्र पूरनसिंह के द्वारा अपीलान्त के पक्ष में दिनांक 22.01.2010 को पंजीकृत कराया गया था। अब पूरनसिंह पुत्र यादराम का दिनांक 10.01.2024 को स्वर्गवास हो चुका है। वकील अपीलान्त का यह भी कहना है कि पूरन सिंह की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 24.01.2024 को अपीलान्त द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नदबई के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत सरपंच अपीलान्त से चुनावी रंजिश रखता है एवं दाखिला खोलने से मना कर दिया है इसलिए उक्त खसरा नम्बरान की रजिस्टर्ड वसीयत एवं विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्त के पक्ष में नामान्तकरण खोला जावे। लेकिन तहसीलदार नदबई द्वारा अपीलान्त के पक्ष में नामान्तकरण ना खोलकर विरासत के आधार पर पूरनसिंह के वारिसान/रेस्पो० के हक में नामा० सं० 1069 दिनांक 28.02.2024 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.03.2024 को स्वीकार किया गया और उसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निरोत्तम के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 के द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1076 अकेले निरोत्तम के पक्ष में स्थगन आदेश के बाबजूद विधिविरुद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। साथ ही वकील अपीलान्त का यह भी कहना है कि नामा० सं० 1076 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1317, 1414, 1416, 603, 640 पर भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर का सन 2010 से आज तक स्थगन आदेश प्रभाव में है के बाबजूद भी रेस्पो. के हक में नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। वकील अपीलान्त का यह भी कहना है कि विधि अनुसार सर्वप्रथम नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है ग्राम पंचायत 45 दिन तक नामा० नहीं करती है तो ही तहसीलदार को नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार था। अपीलान्त द्वारा पूर्व में वसीयत एवं विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्त के पक्ष में नामान्तकरण खोले जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन उसके बाबजूद भी अपीलान्त को सुनवाई नहीं दिया जाकर विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों के समर्थन में आरआरटी 2003(1) पेज 596, आरआरटी 2003(1) पेज 1369, आरआरडी 1989 पेज 771, उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।


जिला कलक्टर
भरतपुर

(3)

अपील / 14 / 2024
पुष्पेन्द्र बनाम नरोत्तम वगै०


हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरित दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

समस्त अभिलेखों, प्रस्तुत तथ्यों एवं योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के तर्कों के अवलोकन उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपील में जिन स्थगन आदेशों का उल्लेख किया गया है उनके समर्थन में विधिवत एवं प्रभावी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः यह मानने का कोई आधार नहीं है कि सम्बन्धित खसरा नम्बरों पर वर्तमान में कोई प्रभावी स्थगन आदेश लागू है। साथ ही अपीलार्थी का यह कथन है कि जिन खसरा नम्बरों की वसीयत एवं विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है, वह संपत्ति स्व० पूरन सिंह की स्वयं अर्जित (Self Acquired) संपत्ति थी। किन्तु उक्त तथ्य के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे इस कथन की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकार करते समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत एवं पंजीकृत विक्रय पत्र के तथ्यों एवं साक्ष्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया का पूर्णतः पालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार नामान्तकरण कार्यवाही एक सार-संक्षिप्त (Summary) प्रक्रिया है। जिसमें स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाता, अपितु उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रथम दृष्टया अधिकार के आधार पर प्रविष्टि की जाती है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण दर्ज किये जाने से पूर्व वसीयत एवं पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में नामा० दर्ज किये जाने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाकर बिना कोई जाँच किये रेस्प० के हक में विरासत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है। अतः इस प्रकार पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नदबई द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण 1076 दिनांक 15.04.2024 त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण परीक्षण के कारण निरस्त (Set Aside) किया जाता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1076 दिनांक 15.04.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है

.....4


जिला कलक्टर
भरतपुर


(4)

अपील / 14 / 2024
पुष्पेन्द्र बनाम नरोत्तम वगै०

कि वह वसीयत एवं पंजीकृत विक्रय पत्र का विधिवत परीक्षण करें, यदि कोई वैध एवं प्रभावी न्यायालयीन स्थगन आदेश हो तो उसका विधिवत संज्ञान लें। साथ ही दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये विधि अनुसार न्यायोचित आदेश पुनः पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।




(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर